

निदेशालय, विकलांग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक: 078-0301

दिनांक: 26 मार्च, 2014

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,  
संलग्न विवरणानुसार

विषय: अनुदान संख्या:79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक:2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण आयोजनेतर पक्ष में बजट आवंटन ।

अनुदान संख्या: 79 के लेखाशीर्षक: 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण आयोजनेतर 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03 मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल रु० 53,11,309/ (रुपये तिरपन लाख म्यारह हजार तीन सौ नौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु एतद्वारा आपको निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी०एम०-8;निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी०डी०ओ०रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।
3. आवंटित धनराशि में से समय समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये।
4. जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हेडबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये। उपर्युक्त आवंटन निदेशालय के बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या 05 पर प्रविष्ट है।
5. वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। अतः आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का आंकलन कर जिन मदों में धनराशि की आवश्यकता नहीं है उन मदों में अवशेष धनराशि का तत्काल समर्पण किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)  
निदेशक

पृठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संलग्न विवरणानुसार
2. महालेखाकार हकदारी/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
3. विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, विकलांग कल्याण, अनु०-2

(के०एन०सिंह)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

## विकलांग कल्याण निदेशालय

आवंटन आदेश संख्या: 078-0301 -

आवंटन तिथि: 26/03/2014

अनुदान संख्या: 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक: 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

03 - मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान

आयोजनेत्तर  
(धनराशि रु. में)

अधिकारी / जनपद	02-मजदूरी	योग
02-सहारनपुर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	112567	112567
03-मुज़फ्फर नगर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	95132	95132
05-बुलन्दशहर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	107338	107338
06-अलीगढ़-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	100355	100355
07-मथुरा-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	63162	63162
09-मैनपुरी-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	109649	109649
10-एटा-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	83372	83372
11-बरेली-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	110758	110758
12-बिजनौर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	93500	93500
13-बदायूं-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	124000	124000
14-मुरादाबाद-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	95772	95772

